ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 81

भू-संसाधन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2400.00	3.90	2403.90	1800.00	4.69	1804.69	2400.00	5.64	2405.64
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**2400.00**	**3.90**	**2403.90**	**1800.00**	**4.69**	**1804.69**	**2400.00**	**5.64**	**2405.64**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	3.90	3.90	...	4.69	4.69	...	5.64	5.64
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
बंजर भूमि विकास										
2. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	2501	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
3. *एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम*										
3.01 कार्यक्रम संघटक	2501	1642.40	...	1642.40	1390.40	...	1390.40	1814.00	...	1814.00
	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	4.90	...	4.90
3.02 ईएपी संघटक	2501	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	57.00	...	57.00
	जोड़	*1692.50*	*...*	*1692.50*	*1440.50*	*...*	*1440.50*	*1875.90*	*...*	*1875.90*
4. जैव-ईंधन	2501	45.00	...	45.00	0.10	...	0.10	45.00	...	45.00
भूमि सुधार										
5. राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	2506	5.00	...	5.00	3.54	...	3.54	50.80	...	50.80
(पूर्ववर्ती व्यापक भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	3601	415.50	...	415.50	176.96	...	176.96	190.00	...	190.00
	3602	5.00	...	5.00	1.90	...	1.90	2.00	...	2.00
	जोड़	*425.50*	*...*	*425.50*	*182.40*	*...*	*182.40*	*242.80*	*...*	*242.80*
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	235.00	...	235.00	175.00	...	175.00	234.30	...	234.30
कुल जोड़		***2400.00***	***3.90***	***2403.90***	***1800.00***	***4.69***	***1804.69***	***2400.00***	***5.64***	***2405.64***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1739.50	...	1739.50	1442.60	...	1442.60	1922.90	...	1922.90
2. भूमि सुधार	12506	425.50	...	425.50	182.40	...	182.40	242.80	...	242.80
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	235.00	...	235.00	175.00	...	175.00	234.30	...	234.30
जोड़		**2400.00**	**...**	**2400.00**	**1800.00**	**...**	**1800.00**	**2400.00**	**...**	**2400.00**

1. यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सचिवालय के संबंध में व्यय के लिए है।

2. भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एन.आर.आर.पी.), 2007 तैयार की है, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसे 31 अक्टूबर, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 में मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के संबंध में व्यवस्था की गई है जिन्हें उन सभी परियोजनाओं द्वारा अवश्य पूरा किया जाना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या एजेंसियों तथा अन्य अर्जनकारी निकायों को राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 में निर्धारित किए गए स्तरों से अधिक लाभ प्रदान करने की छूट होगी। इस नीति के सिद्धांत किसी अन्य कारण से स्थायी तौर पर अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए भी लागू हो सकते हैं। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 में निगरानी तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय पर्यवेक्षण निकाय, राष्ट्रीय निगरानी समिति तथा निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

3.01 समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को इन तीनों क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के स्थान पर एक कार्यक्रम नामतः एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) में समेकित किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए आई.डब्ल्यू.एम.पी. की संशोधित योजना की परिकल्पना की गई है और इसे राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) द्वारा अनुमोदित वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी आम मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 के अंतर्गत कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना होगी। 10वीं योजना तक स्वीकृत की गई जलसंभर परियोजनाओं को मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा।

एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाएं माइक्रो वाटरशेड आधार पर शुरू की जाती हैं । यह कार्यक्रम लगभग 5000 हैक्टेयर के परियोजना आकार के साथ परियोजना पद्धति में कार्यान्वित किया जाता है। परियोजना की लागत 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर है जिसे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 5500 रुपये तथा 500 रुपये के अनुपात में वहन किया जाता है। एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) इस समय देश के 470 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसे भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम

उपयोग की दीर्घकालिक कार्यनीति के आधार पर सूखे की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है और पहली अप्रैल, 1999 से वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 195 जिलों में 972 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना तथा दीर्घावधि में पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना एवं सिंचाई, वनीकरण, शुष्क् भूमि में खेती आदि के जरिए उत्पादन, आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करना भी है। आबंटन को केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 235 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

3.02 उड़ीसा में विदेशी सहायता प्राप्त एक परियोजना नामतः पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण जीविका परियोजना (डब्ल्यू.ओ.आर.एल.पी.) को डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.), यू.के. से प्राप्त विदेशी सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. भूमि संसाधन विभाग का राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के प्रचालन हेतु एक केन्द्रक (नॉडल) विभाग के रूप में चयन किया गया है। विभाग ने देश के विभिन्न भागों में 5 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि पर जटरोफा जैसे अखाद्य तिलहन पौधरोपणों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू करने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है।

सरकार ने (i) बायो-ईंधनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तथा इसका कार्यान्वयन और राष्ट्रीय बायो-ईंधन विकास बोर्ड स्थापित करने तथा (ii) राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन स्थापित करने एवं इसका प्रदर्शन आरंभ करने के संबंध में मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन किया है।

5. भूमि सुधारों के भाग के रूप में सहायता केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाओं नामतः भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण करने (एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर.) के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाती थी, जिन्हें समेकित कर दिया गया है और इनके स्थान पर वर्ष 2008-09 से अधिक व्यापक संभावना तथा स्वामित्वाधिकार की गारंटी के साथ निश्चायक स्वामित्वाधिकार प्रणाली को प्रयोग में लाने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) के रूप में केन्द्र द्वारा प्रायोजित संशोधित योजना लागू की गई है। एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत सभी कार्यकलापों को योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप में आरंभ किया जाएगा, प्राथमिक चरण निश्चायक स्वामित्वाधिकार के स्तर को प्राप्त करने के लिए तथा द्वितीयक चरण अभिलेखबद्ध करने संबंधी कार्यकलापों तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए। सभी प्रारंभिक कार्यकलापों को जिले में समेकित किया जाएगा, जिले को कार्यान्वयन की इकाई के रूप में लिया जाएगा, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में 1-2 जिलों में कार्य को आरंभ किया जाएगा तथा 12वीं योजना के अंत तक सभी जिलों को कवर करने के लिए कार्यक्रम का बाद में विस्तार किया जाएगा। एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने अभी तक 16 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों की जाँच की है तथा उन्हें अनुमोदित किया है।

6. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।